

सभी वर्ग के पात्र छात्र शुल्कप्रतिपूर्ति/दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक/...../..... को (1) कु०/श्रीमती/श्रीजातिनिवासी ग्राम/मु०पोस्ट ऑफिसतहसीलजिलाजिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

(2)(संस्थाध्यक्ष)पताजनपद(जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर सभी वर्गों के पात्र छात्र छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर सभी वर्गों के पात्र छात्र छात्रवृत्ति योजना उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं:-

- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में कोरोना कारण के अवधि में किशतों में शुल्क जमा करते प्रवेश महाविद्यालय के सभी वर्गों के पात्र छात्र देगा।
- प्रथम पक्ष संदर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा
- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृत हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा
- प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा व प्रथम पक्ष संस्था में समयानुसार उपस्थिति दर्ज करायेगा।
- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो में प्रतिभाग सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय दशमोत्तर शुल्कप्रतिपूर्ति सभी वर्गों के पात्र छात्र छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
- यदि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबन्ध की शर्तों का पालन नहीं करता है। तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष पर दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

प्रथम पक्ष		द्वितीय पक्ष	
	हस्ताक्षर नाम पिता/पति का नाम..... पता		हस्ताक्षर नाम व पदनाम..... पिता/पति का नाम..... पता
साक्षी सं.-1		साक्षी सं.-2	
	हस्ताक्षर नाम पिता/पति का नाम..... पता		हस्ताक्षर नाम व पदनाम..... पिता/पति का नाम..... पता

शपथ पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री.....आयु.....स्थाई
पता.....
.....मोबाइल नं०.....मैं संस्था.....
.....पाठ्यक्रम.....वर्ष.....ब्रान्च.....
.....का नियमित छात्र/छात्रा एतद् निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ—

- यह कि मेरे द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे समस्त दस्तावेज एवं जानकारी सही है।
- यह कि मैं अन्य किसी संस्था का नियमित छात्र/छात्रा नहीं हूँ।
- यह कि मैंने इस छात्रवृत्ति के अलावा कहीं और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया है।
- यह कि मैं किसी भी संस्था में पूर्णकालिक कार्यरत नहीं हूँ। एवं आय प्रमाण पत्र में दर्शाई गई आय मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त की गई कुल आय.....है।
- यह कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार कम से कम 75 प्रतिशत कक्षाओं में उपस्थित रहूँगा/रहूँगी अन्यथा मुझे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाये।
- यह कि मेरा खाता संख्याब्रान्च.....बैंक का नाम..... में है, और मेरा कोई दूसरा खाता किसी बैंक में संचालित नहीं है।
- यह कि मेरा/मेरी किसी प्रकार से कोई भी पूर्व की छात्रवृत्ति कहीं भी लम्बित नहीं है।
- यह कि मैं अपना कोर्स संस्था से पूर्ण करूँगा/करूँगी बीच में पढ़ाई छोड़ने पर छात्रवृत्ति से प्राप्त समस्त राशि सरकार को वापस करूँगा/करूँगी अन्यथा मुझ पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

उपरोक्त समस्त चरण क्रमांक 1 से चरण क्रमांक 8 तक में पालन करूँगा/करूँगी।

शपथकर्ता/शपथकर्ती